

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-। 10530

दिनांक: 26.08.22

सीमित निविदा सूचना संख्या2022-23

राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यालय स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी की एक वर्ष हेतु दर संविदा करने के प्रयोजनार्थ पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा शुल्क 200/- (प्रतिदेय नहीं) जमा करवाया जाकर दिनांक 26.08.2022 से 07.09.2022 दोपहर 02:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 07.09.2022 सांय 4:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 08.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वार्षिक अनुमानित राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1.	स्टेशनरी आईटम एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आईटम	1.50 लाख	200 / -	3000 / -

जो निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा। निविदा प्रपत्र आयोग की वेबसाईट www.rajsec.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका निर्धारित शुल्क राशि रु. 200/- का पृथक से बैंकर्स चेक/डी.डी., सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में टेण्डर फार्म के साथ जमा करवाने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


(चित्रा गुप्ता)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-। 10531-34

दिनांक: 26.08.22

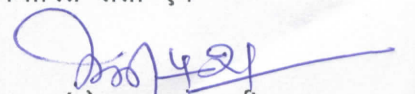
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.नोटिस बोर्ड, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

2.प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर को बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

3.मैसर्स..... को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार यदि आप स्टेशनरी आपूर्ति करने के इच्छुक है तो निर्धारित शर्तों एवं समयानुसार अपनी निविदा प्रस्तुत करें।

4. रक्षित पत्रावली।


(ओमप्रकाश शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

Website: www.rajsec.rajasthan.gov.in Email: secraj@rajasthan.gov.in

स्टेशनरी प्रदाय के लिये निविदा प्रपत्र

- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय : 07.09.2022 सांय 4:00 बजे तक
- निविदा खोलने का दिनांक एवं समय : 08.09.2022 दोपहर 3:00 बजे
- निविदा प्रपत्र शुल्क : 200/- रु.
1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा प
 2. ता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. :
 3. निविदा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित की जानी चाहिये।
 4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक: एफ. 3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-I.....दिनांक.....
 5. हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
 6. निविदा शुल्क राशि रु. 200/- नकद/रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक संख्या दि. से एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 3000/- बी.सी/डी.डी. नं. दिनांक बैंक का नाम द्वारा जमा करवा दी गई है।
 7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख के कॉलस संख्या 5 में अंकित की जाने वाली दरे जी.एस. टी. रहित (Excluding GST) अंकित की जावे।
 8. सामग्री जिसके नमूने चाहे गये है, पृथक से सीलबन्द लिफाफे में आयोग को भिजवाने होंगे।
 9. सामग्री की आपूर्ति आदेश दिये जाने के अधिकतम 7 दिवस में FOR आयोग कार्यालय में करनी होगी। अत्यावश्यक परिस्थिति में आपूर्ति एक दिन में भी करनी होगी।
 10. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात् माल सप्लाई करने से पूर्व 500/- रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
 11. दरे अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। इस अवधि में मात्रा की कमी/बढ़ोतरी आयोग द्वारा की जा सकेगी।
 12. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है।
 13. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
 14. सफल निविदादाता को नियमानुसार 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) जमा करानी होगी।
 15. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
 16. बोली दाता का विवरण परिशिष्ट-क की पूर्ति कर संलग्न कर दिया गया है।
 17. मैं/हम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक: एफ. 3(75)स्टोर/रानिआ/2019/पार्ट-I.....दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तों मय परिशिष्ट-“क” “ख” अनुलग्नक अ ब स द (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

सीमित निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. निविदा को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. अधिकृत/वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएँ:— निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
5. GST पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये
6. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
7. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
8. दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।
9. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषांगिक (Incidental) प्रभारों एवं अन्य करों आदि को शामिल करना चाहिये। किन्तु GST को शामिल नहीं किया जाना है। मूल निविदा फॉर्म के साथ संलग्न परिशिष्ट-ख में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
10. **बातचीत (Negotiation) :-** (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
11. **मूल्य अधिमान :-** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर राजस्थान से बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।

12. **विधि मान्यता :-** निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
13. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।
15. जिन मदों के नमूने अनिवार्य हैं उन मदों में प्राप्त नमूनों की जांच क्रय समिति द्वारा की जायेगी तथा अनुपयुक्त नमूनों की दर पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. **विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन) :-**
 - (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिये।
 - (ii) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा।
 - (iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड: निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 6 माहों की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि 6 माहों की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं की उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके, उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
17. **सप्लाइ:-** आदेशित सामग्री की सप्लाय आयोग द्वारा निर्धारित स्थान/आयोग के भण्डार कक्ष पर करानी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा/अन्य खर्च का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा। न्यूनतम मात्रा की कोई गारंटी नहीं दी जायेगी। सप्लाय जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों से कराया जाएगा। सप्लाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप निहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाये जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।

18. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
19. **परीक्षण प्रभार :** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
20. **रद्द करना (Rejection) :-** (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
21. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
23. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक व्यक्तिगत अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
24. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।
25. मात्रा की सीमा –आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50% तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

26. बयाना राशि निविदा के साथ रु 3000/- की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में बैंकर्स चैक/डीडी के रूप में संलग्न की जायेगी। असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा के अंतिम रूप में स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटा दी जायेगी।

27. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) :-**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(iv) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद एवं दर संविदा की अवधि समाप्ति या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, तो प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं उनके द्वारा निदेशक, उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों के मामले में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एम.आर.) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम (निविदा के अनुमानित मूल्य) का 1 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किया जावेगा।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। प्रतिभूति राशि के स्थान पर नियमानुसार प्रतिभूति घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :-** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

28. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने या किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. (1) I. निविदा प्रपत्र में सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II. परिसमापित नुकसानी – परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये – 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से – 5%
अनाधिक के लिये

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से – 7.5%
अनाधिक अवधि के लिये

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये – 10%

6. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।

7. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

8. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

9. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

29. भुगतान – सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में सा.वि. ले.नि. के अनुसार उचित प्रारूप में बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

30. वसूलियां – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता द्वारा कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान P.D.R. Act या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

31. जी.एस.टी. की दरों में परिवर्तन की स्थिति में माल सप्लाई के समय प्रचलित दर लागू होगी।

32. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।

33. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर में वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

34. उक्त बोली के क्रम में सम्पादित अनुबन्ध के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा, जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।

35. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।

- 36 निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।
37. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

(ओमप्रकाश शर्मा)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबद्धित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता
टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

—': निविदादाताओं द्वारा घोषणा:—

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बनोफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—क

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
बोलीदाता का विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1	सामग्री/सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	स्टेशनरी व कम्प्यूटर स्टेशनरी आइटम
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई-मेल का पता	
3	फर्म का पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
5	जी.एस.टी. बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (प्रति संलग्न की जावे)	
6	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन (PAN) नं. (प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे)	
7	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
8	बोली प्रतिभूति का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद सं.	
9	निविदादाता द्वारा घोषणा (प्ररूप एस आर -11 संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

विविध स्टेशनरी/कम्प्युटर स्टेशनरी सामग्री की सूची एवं दर

क्र.सं.	विवरण	मार्का	अनिवार्य नमूना	दर प्रति नग जीएसटी रहित
1	2	3	4	5
1.	स्टेपलर पिन पैकेट Small 10 Nos	Kores	नहीं	
2.	स्टेपलर पिन पैकेट 24/6	Kores	नहीं	
3.	प्लास्टिक फोल्डर	L Type with Pocket	नहीं	
4.	ऑलपिन कुशन		हाँ	
5.	फेवी ग्लू स्टीक 15 Gm	Fevi	नहीं	
6.	स्टेपलर छोटे 10 Nos	Kangaroo	नहीं	
7.	स्टेपलर बड़ा 24/6	Kangaroo	नहीं	
8.	फोटो स्टेट पेपर A-4, 75 GSM white	J.K. Copier Red	नहीं	
9.	फोटो स्टेट पेपर FS, 75 GSM white	J.K. Copier Red	नहीं	
10.	फोटो स्टेट पेपर A-4, 80 GSM Light Blue	Matrix	नहीं	
11.	फोटो स्टेट पेपर FS, 75 GSM Light Blue	Matrix	नहीं	
12.	वाइट फ्लूड पेन	Kores	नहीं	
13.	गोंद की शीशी 150 ml.	Camle	नहीं	
14.	गोंद की शीशी 700 ml.	Camle	नहीं	
15.	ऑलपिन पैकेट	BCR	नहीं	
16.	फाईल लैस Superior Quality		हाँ	
17.	फाईल टैग Superior Quality		हाँ	
18.	फाईल पैड Superior Quality		हाँ	
19.	स्टॉम्प पैड Medium Size	Ashoka	नहीं	
20.	रजिस्टर सादा 1 qr.	100 Page	हाँ	
21.	रजिस्टर सादा 2 qr.	200 Page	हाँ	
22.	रजिस्टर सादा 3 qr.	300 Page	हाँ	
23.	रजिस्टर सादा 4 qr.	400 Page	हाँ	
25.	पैन साधारण	Cello	नहीं	
26.	पैन Ball	Reynolds Jetter aerosoft	नहीं	
27.	पैन Pilot	HiTech Point V5	नहीं	
28.	रूल पेन्सील HB	Natraj	नहीं	
29.	रीफील Ball	Reynolds Jetter aerosoft	नहीं	
30.	स्लीप पैड No. 23 Small		हाँ	
31.	स्लीप पैड No. 33 Big		हाँ	
32.	स्लीप पैड मीटिंग	20 Page	हाँ	
33.	Spiral note book	100 Page	हाँ	
34.	शॉर्ट हैण्ड नोट बुक	100 Page	हाँ	
35.	Pen Drive 16 GB	Kingston 3.0	नहीं	
36.	Pen Drive 32 GB	Kingston 3.0	नहीं	
37.	Pen Drive 64 GB	Kingston 3.0	नहीं	
38.	HP लेजर प्रिन्टर टोनर कार्ट्रिज Hp Laser MFP 1216	HP 88A	नहीं	

39.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्टिज	RICOH Printer 310DN	RICOH High Copy ERP Code 407243	नहीं	
40.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्टिज	Hp Laser Printer MFP 1005	HP 12A	नहीं	
41.	EPSON Cartedge	Black Ink		नहीं	
42.	External Hard Disk	500 GB 1 TB 2 TB	Segate Segate Segate	नहीं	
43.	कम्प्यूटर माऊस		Logitech	नहीं	
44.	Key Board		TVS Gold Bharat	नहीं	
45.	पेपर वेट कांच वाले			हाँ	
46.	लिफाफे लेमिनेशन	16x12		हाँ	
47.	लिफाफे कपड़ा	16x12		हाँ	
48.	लिफाफे सफेद	11x5		हाँ	
49.	लिफाफे सफेद	9x4		हाँ	
50.	लिफाफा खाकी फाईल साईज			हाँ	
51.	लिफाफा A4 Size			हाँ	
52.	बस्ते			हाँ	
53.	डस्टर			हाँ	
54.	फैक्स रीबिन	KX 701	Panasonic	नहीं	
55.	पंचिंग मशीन		Kangaro	नहीं	
56.	मार्कर		Cello	हां	
57.	हाईलाइटर		Faber Castell	हां	
58.	पोकर	Superior Quality		हां	
59.	पेपर कटर	Superior Quality		हां	
60.	टैग पैकिट	Superior Quality		हां	
61.	प्लेग	Superior Quality		हां	
62.	स्केल बडी	Superior Quality		हां	
63.	सेलो टेप	½ Inch			
64.	सेलो टेप	1 Inch			
65.	कार्टेज 137A	HP PrinterMFP 233 Dw			

सभी दरें जी.एस.टी. रहित **(Excluding GST)** प्रस्तुत की गई है। नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर